विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष एम.डी. बड़गैया

सदस्य निमिष परमार)

प्रकरण क्रमांक / 20 / 2026

सस्थित दिनांक 09.06.2026

श्री नवीन कुमार निगम, ...परिवादी

B-1/33, लोकमान्य हाऊ. सोसायटी,

रोहिणीपुरम, जिला रायपुर (छ.ग.) 492010

मोबाईल नं. : 94255–63804

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (पश्चिम), ...उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

आदेश

(दिनांक 13 / 07 / 2026 को पारित)

परिवादी की सेवानिवृत्ति पश्चात उसके विद्युत देयक में दी गयी अतिरिक्त विभागीय छूट (25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत) की राशि को वसूल किए जाने के लिए उत्तरवादी द्वारा प्रेषित राशि रू. 45405.00 के मांग पत्र को निरस्त किए जाने हेतु परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया है ।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. बी.–1 / 33, लोकमान्य हाउसिंग सोसायटी, रोहिणीपुरम रायपुर स्थित परिवादी के परिसर में घरेलू उपयोग हेतु 2126 वाट भार का विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1000149466 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया गया है ।

ख. उत्तरवादी के नियमित कर्मचारियों के लिए अपने विद्युत देयक में 50 प्रतिशत विभागीय छूट प्राप्त किए जाने एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 25 प्रतिशत की विभागीय छूट प्राप्त किए जाने का विकल्प विभागीय नियमों के अनुसार है ।

ग. उत्तरवादी द्वारा परिवादी को, उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात, उसके विद्युत देयक में, माह जनवरी 2021 से माह सितंबर 2025 तक की अवधि में निर्धारित 25 प्रतिशत की विभागीय छूट के स्थान पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती रही थी ।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद / शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

उत्तरवादी द्वारा लंबी अवधि तक विद्युत देयक में प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट की राशि को बिना किसी पूर्व सूचना के माह अप्रेल 2026 के नियमित देयक मे जोड़कर वसूल किए जाने दिए जाने की कार्यवाही को परिवादी द्वारा नियम विरूद्ध एवं मांग पत्र राशि को विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) के अनुसार वसूली योग्य नहीं होना बताया गया है । परिवादी के अनुसार बकाया राशि को माफ/समायोजित किए जाने से संबंधित "समाधान योजना" या ऐसी ही अन्य किसी योजना का लाभ देते हुए वर्तमान वसूली योग्य राशि में छूट प्रदान की जाए । परिवादी के अनुसार विकल्प नहीं भरे जाने का उत्तरवादी का दावा पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है । उत्तरवादी की लापरवाही एवं प्रबंधन की विफलता के कारण अतिरिक्त विभागीय छूट दिए जाने की परिस्थिति निर्मित हुई जिसका बोझ उपभोक्ता पर नहीं डाला जाना चाहिए । परिवादी द्वारा अतिरिक्त विभागीय छूट राशि को किश्तों में जमा किये जाने की सुविधा प्रदान किए जाने का भी निवेदन फोरम के समक्ष किया गया है ।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा पत्र क्रमांक 239 दिनांक 17.06.2026 के माध्यक से प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि –

कार्यालय में उपलब्ध डाटा का निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि परिवादी की, कंपनी से सेवानिवृत्ति तिथि दिनांक 01.01.2021 के बाद भी उनके विद्युत देयक में विभागीय 25 प्रतिशत छूट के स्थान पर 50 प्रतिशत छूट दिया जाना जारी रहा । माह जनवरी 2021 से माह सितंबर 2025 तक की अवधि में प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट राशि रू. 45405.00 की गणना कर इसके संबंध में परिवादी को पत्र क्रमांक 37 दिनांक 16.04.2026 के माध्यम से सूचित किया गया एवं राशि का भुगतान न होने पर दिनांक 15.05.2026 को उक्त राशि परिवादी के नियमित देयक में जोड दी गयी जो कि नियमानुसार है ।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं –

(i) क्या परिवादी के देयक में विभागीय अतिरिक्त छूट की राशि को जोडे जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही नियमानुसार है ।

(ii) क्या दो वर्ष पुराने किसी एरियर्स को अचानक बिल में जोड़कर वसूल करने की कार्यवाही विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) का उल्लंघन है ।

(iii) यदि परिवादी को प्रदायित विभागीय अतिरिक्त छूट के लिए मात्र उत्तरवादी जिम्मेदार है । यदि है, तो क्या इस आधार पर परिवादी को प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट राशि निरस्त किए जाने योग्य है ।

(iv) क्या "समाधान योजना" जैसी योजनाओं के माध्यम से उत्तवादी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदायित रियायत या अन्य उपभोक्ताओं (आई.ए.एस. एसोसिएशन जिसका जिक्र परिवादी द्वारा किया गया है) को प्रदान की जाने वाली छूट, परिवादी को उसके द्वारा प्राप्त की गयी अतिरिक्त विभागीय छूट राशि की देनदारी से मुक्त किए जाने का आधार हो सकता है ।

(v) क्या परिवादी को, उसे प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट की राशि के भुगतान के लिए किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायसंगत होगा ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

6. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उत्तरवादी द्वारा उसके देयक में बिना किसी पूर्व सूचना के अतिरिक्त राशि रू. 45450.00 जोड़कर प्रेषित कर दी गयी जो कि नियम विरूद्ध है । उत्तरवादी का कथन है कि सप्लाई कोड 2011 की कंडिका 9.26 एवं 9.27 के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया है –

सप्लाई कोड 2011 की कंडिका 9.26 एवं 9.27 यथा –

9.26 Separate (supplementary) bills shall be issued for audit recovery and recoveries other than the regular monthly bill except for demand of additional security deposit.

9.27 While issuing the supplementary bill (for other than cases related to prejudicial use of energy) to the consumer the licensee along with the supplementary bill shall send a written details to the consumer explaining the reason, basis and period of such billing by giving fifteen days time for payment.

The consumer may accept the bill and deposit the amount of supplementary bill. In case of non payment within due date the amount of supplementary bill liable to be added in next months regular monthly bill.

के अनुसार पूरक देयक प्रेषित किए जाने के साथ ही उपभोक्ता को पूरक देयक राशि की मांग का कारण, बिलिंग की अवधि एवं बिलिंग का लिखित विवरण भी प्रेषित किया जाना है । निर्धारित अवधि में उपभोक्ता द्वारा भुगतान न किए जाने की स्थिति में ही उक्त पूरक देयक राशि को नियमित मासिक देयक में जोडा जाना है । उत्तरवादी द्वारा नियमित देयक में राशि जोडे जाने के पूर्व परिवादी को पत्र दिनांक 16.04.2026 के माध्यम से वसूली योग्य राशि का आधार, उसकी अवधि की जानकारी प्रेषित किया जाना एवं राशि का भुगतान

न होने पर ही उक्त राशि को नियमित देयक में जोडा जाना स्पष्ट है । अतः उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि अपने देयक में उत्तरवादी द्वारा बिना पूर्व सूचना के अतिरिक्त राशि जोडे जाने का परिवादी का दावा सही नहीं है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक (ii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

7. परिवादी के अनुसार विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) के अनुसार कोई भी राशि दो वर्ष के बाद वसूली योग्य नहीं रह जाती है अतः उत्तरवादी द्वारा दो वर्ष पुरानी बकाया राशि को बिना किसी फर्स्ट ड्यू नोटिस के अचानक बिल में जोड़ना धारा 56(2) का उल्लंघन है । उत्तरवादी द्वारा कथन किया गया कि 56(2) के अन्तर्गत ही कार्यवाही की गई ।

फोरम के अनुसार विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) में, किसी राशि को उसके प्रथम बार बकाया होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि में राशि वसूल न किए जाने की स्थिति में उस राशि के वसूली योग्य नहीं रह जाने का प्रावधान किया गया है । अवगत हो कि कोई भी राशि प्रथम बार तब बकाया बनती है जब उस राशि का मांग पत्र उत्तरवादी द्वारा प्रेषित किया जाता है ।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम बार देयक जारी किए जाने एवं उसके बकाया होने की तिथि दिनांक 16.04.2026 (प्रथम बार मांग पत्र जारी किए जाने की तिथि) है । इस तिथि से ही दो वर्ष की परिसीमन अवधि प्रारंभ होती है । इस प्रकरण में उक्त परिसीमन अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है अतः उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) के उल्लंघन के आधार पर अतिरिक्त विभागीय छूट की राशि को निरस्त किए जाने का परिवादी का दावा सही नहीं है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक (iii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

8. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उत्तरवादी की लापरवाही एवं प्रबंधन की विफलता से सेवानिवृत्ति के प्श्चात भी 50 प्रतिशत विभागीय छूट के जारी रहने की परिस्थिति उत्पन्न हुई है । इस त्रुटि के लिए परिवादी किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है । विभागीय लापरवाही के कारण प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट का भार परिवादी पर डाला जाना उचित नहीं है ।

परिवादी द्वारा कभी भी, उत्तरावादी द्वारा प्रस्तुत इस तथ्य से इंकार नहीं किया गया है कि सेवानिवृत्ति पश्चात भी उसे 50 प्रतिशत की विभागीय छूट प्राप्त होती रही जबकि वह 25 प्रतिशत विभागीय छूट प्राप्त करने का पात्र था । परिवाद का मुख्य आधार यह है कि उत्तरवादी की त्रुटि एवं लापरवाही के कारण प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट का बोझ परिवादी पर डालना सही नहीं है । परिवादी का कथन सही है कि उत्तरवादी द्वारा परिवादी की सेवानिवृत्ति का स्वतः संज्ञान न लेते हुए सेवानिवृत्ति पश्चात उसे दी जाने वाली

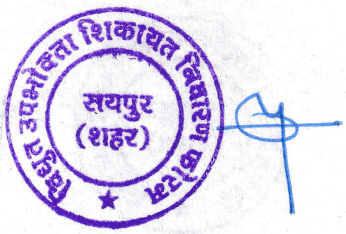

विभागीय छूट में परिवर्तन नहीं किया गया लेकिन परिवादी भी अपनी सेवानिवृत्ति की जानकारी के साथ अपने देयक में प्रदान की जा रही विभागीय छूट को 50 प्रतिशत से 25 प्रतिशत किए जाने का तथ्य उत्तरवादी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 7235/2009, प्रकरण मेसर्स प्रेम कोटेक्स विरूद्ध उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में घोषित निर्णय दिनांक 05.10.2021 की कंडिका 12 के अंश "This Court also held that Section 56(2) does not preclude the licensee from raising an additional or supplementary demand after the expiry of the period of limitation in the case of a mistake or **bonafide error**." के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में दर्शित उत्तरवादी की त्रुटि को भी इसी **bonafide error** की श्रेणी में रखा जाना उचित होगा । उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि परिवादी की सेवानिवृत्ति पश्चात भी 50 प्रतिशत विभागीय छूट के जारी रहने के लिए दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं एवं विभागीय छूट के रूप में परिवादी द्वारा प्राप्त की गयी अतिरिक्त राशि मात्र इस आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती है कि वह विभागीय लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक (iv) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

9. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में यह लेख किया गया है कि विभाग द्वारा एक ओर तो समाधान योजना एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से, देयक राशि जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को देयक में छूट प्रदान की जा रही है वहीं दूसरी ओर नियमानुसार देयक का भुगतान करते हुए वर्षों तक विभाग की सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया रहा है । इस संबंध में फोरम का यह मानना है कि राज्य शासन के दिशा निर्देशों पर राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करना विभाग का नीतिगत मामला है । जिस पर फोरम द्वारा टिप्पणी किया जाना अनुचित होगा । अतः उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि "समाधान योजना" जैसी योजनाओं के माध्यम से उत्तवादी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदायित रियायत या अन्य उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली छूट के आधार पर परिवादी को उसके द्वारा प्राप्त की गयी अतिरिक्त विभागीय छूट राशि की देनदारी से फोरम द्वारा मुक्त नहीं किया जा सकता है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक (v) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

10. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में यह लेख किया गया है कि विभागीय लापरवाही के कारण उत्पन्न अतिरिक्त छूट राशि का भुगतान 58 किश्तों में किए जाने की सुविधा प्रदान की जाए यद्यपि दिनांक 11.05.2026 को परिवादी द्वारा वसूली योग्य राशि का भुगतान

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

10 किश्तों में किए जाने की सुविधा प्रदान किए जाने का अनुरोध उत्तरवादी के समक्ष पत्र के माध्यम से किया गया था । प्रकरण के विवेचन से स्पष्ट है कि उत्तरवादी द्वारा लंबी अवधि (जनवरी 2021 माह सितंबर 2025) के दौरान परिवादी को त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रदत्त अतिरिक्त छूट की गणना करते हुए पूरक देयक राशि का निर्धारण किया गया है । इतनी लंबी अवधि के लिए गणना की गयी राशि के एकमुश्त भुगतान का दायित्व परिवादी पर डालना न्यायसंगत नहीं है । उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है उत्तरवादी द्वारा परिवादी को उनके मांग के अनुरूप यथोचित किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायसंगत होगा ।

11. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत हम यह पाते है कि परिवादी अपना मामला साबित करने में आंशिक रूप से सफल रहा है । अस्तु प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है –

(i) परिवादी के देयक में जोड़ी गयी अतिरिक्त विभागीय छूट की राशि सही एवं परिवादी द्वारा भुगतान योग्य है ।

(ii) फोरम, उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि लंबी अवधि के लिए गणना की गयी एवं परिवादी के देयक में एकमुश्त जोड़ी गयी अतिरिक्त राशि के कारण देयक में लगने वाले अधिभार को निरस्त/स्थगित किया जाना सुनिश्चित करे ।

(iii) सप्लाई कोड की कंडिका 10.14 एवं तद्नुसार डेलीगेशन आफ पावर में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11.05.2026 के अनुसार उत्तरवादी, परिवादी को उसकी बकाया राशि का भुगतान 10 किश्तों में किए जाने की सुविधा प्रदान किया जाना सुनिश्चित करे ।

12. यदि परिवादी/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

आदेश पारित किया गया

(निमिष परमार)
सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष